40–(08)–83–2017

पटना में दिनांक–06 जून, 2017 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(अभियोजन निदेशालय)

1. क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए समूह "ग" निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान PB 1 + GP 1900) के कुल 56 (छप्पन) पदों के सृजन के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

2. बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 के नियम 22(3) के साथ सह–पठित अनुसूची–(iv) की कंडिका–(4) के तहत बंदोबस्त बालू, पत्थर एवं अन्य लघु खनिजों की खनन योजना एवं कंडिका–(6) के तहत रूपांतरित खनन योजना हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–815 दिनांक–25.02.2014 से गठित अन्तर्विभागीय समिति को उसके गठन की तिथि के प्रभाव से सक्षम प्राधिकार घोषित किये जाने के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

3. बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 को बिहार राज्य में प्रवृत्त (लागू) किये जाने के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

4. पटना में प्रस्तावित डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंन्स सिटी के निर्माण एवं विकास हेतु परामर्शी के चयन प्रक्रिया पर व्यय होने वाली राशि रू० 95,22,000.00 (पंचानवे लाख बाईस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय की स्वीकृति।

4. **स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

5. श्री मनोज कुमार, बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति निलंबित को उनके विरूद्ध गंभीर प्रमाणित आरोपों के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त करने एवं निलंबन अवधि (दिनांक–12.03.2015 से बर्खास्तगी की तिथि तक) के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वहन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का दण्ड देने के संबंध में।

5. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

6.	जल संसाधन विभाग द्वारा संविदा पर नियोजित कर उपलब्ध कराये गये कनीय अभियंताओं में से सम्प्रति कार्यरत 40 (चालीस) कनीय अभियंताओं के कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने के फलस्वरूप उनकी सेवा अवधि संलग्न सूची में अंकित तिथि के अनुसार 1 (एक) वर्ष के लिए प्रतिमाह रू० 27000 मानदेय पर विस्तारित किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।	6. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

7.	संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियेाजित कुल 18 (अठारह) कनीय अभियंताओं (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक–05.09.2016 से दिनांक–04.09.2017 तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	7. **स्वीकृत।**